फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

रतनलाल बनाम छीतर वगै०

मुकदमा नम्बर :– 34/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	02/9/24	प. वादी उप० प्रतिवादी सं. 1, 2, 9, 10 के अधिवक्ता को न्यायालय समय में बार-बार आवाज दिलायी गयी लेकिन अनुपस्थित रहे, अत: प्रतिवादी सं. 1, 2, 9, 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वादी अधिवक्ता ने वाद में प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद सभी पक्षकारों के रजामंद/समझौता व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुये। रजामंदी के आधार पर वादी मिसल एवं बाउण्ड्री के आधार पर प्राथमिक डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राथमिक डिक्री जारी हो। नियम विरुद्ध से लिखवाया जाकर प्रथम से शी०कि० किया गया। तहसीलदार चौमूं को कुरेजात हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते कुरेजात रिपोर्ट में रखकर आगामी दिनांक 04/10/24 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर, चौमूं चौमूं, जयपुर (ग्रामीण)	
	04/10/24	प. वादी उप० तहसीलदार चौमूं से कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जो शा०कि० किया गया। वकील वादी के मुताबिक कुरेजात अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस कुरेजात सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। कुरेजात प्रस्ताव व कागजी	कुरेजात पर कोई आपत्ति नहीं। [signature] नि० अ० (?) 25/10/24 PSO

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

रतनलाल बनाम छीतर वगै०

मुकदमा नम्बर :– 34/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुताबिक कुर्रीवत रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर हा० कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर के बाद दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	

मु0सं0–34 / 2024
उनवान–रतनलाल बनाम छीतर वगै0
निर्णय दिनांकः–04.10.2024

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

रतनलाल पुत्र रामलाल, उम्र 35 वर्ष, जाति बलाई, निवासी ग्राम दम्बा का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी–

बनाम

1. छीतर पुत्र चौथू
2. नबालिग तमन्ना पुत्री भींवाराम संरक्षक खुद पिता भींवाराम
3. बल्लूराम पुत्र कानाराम
4. बाबूलाल पुत्र कानाराम
5. भींवाराम पुत्र छीतरमल
6. रामू पुत्र चौथू
7. लाखाराम पुत्र कानाराम
8. श्रवण कुमार पुत्र कानाराम
9. संतोष देवी पत्नी अर्जुनलाल
10. नाबालिग हिमांशु पुत्र भींवाराम संरक्षक खुद पिता भींवाराम
    समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम दम्बा का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. रामपाल पुत्र मोती, जाति रैगर, निवासी कालापापड़ी, ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार महोदय गोविन्दगढ़, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
14. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
15. बैंक ऑफ बड़ौदा, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0—34 / 2024
उनवान—रतनलाल बनाम छीतर वगै0
निर्णय दिनांकः—04.10.2024

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः—04.10.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को सुना गया। वकील वादी द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांकित 01.10.2024 पर सहमति जताते हुए वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04.10.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम दम्बा का बास, पटवार हल्का आलीसर, भू0अ0नि0 क्षेत्र हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के नया खाता सं0 15 के खसरा नं0 280 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 283 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 284 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 285 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 286 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 289 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 290 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 291 रकबा 0.67 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैः—

1. रतनलाल पुत्र रामलाल हिस्सा सम्पूर्ण, जाति बलाई, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 291 / 1 रकबा 0.25 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में हल्के हरे रंग से दर्शायी गई है।
2. छीतर पुत्र चौथू हिस्सा 3195 / 23400 जाति रैगर, नाबालिग तमन्ना पुत्री भींवाराम संरक्षक खुद पिता भींवाराम हिस्सा 719 / 23400, नाबालिग हिमांशु पुत्र भींवाराम संरक्षक खुद पिता भींवाराम हिस्सा 719 / 23400, भींवाराम पुत्र छीतरमल हिस्सा 720 / 23400, बल्लूराम पुत्र कानाराम हिस्सा 2174 / 23400 जाति रैगर राहिन हिस्सा 2174 / 23400 पी0एन0बी0 बैंक शाखा कालाडेरा, बाबूलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 2174 / 23400 जाति रैगर राहिन हिस्सा 2174 / 23400 पी0एन0बी0 बैंक शाखा कालाडेरा, लाखाराम पुत्र कानाराम हिस्सा 2174 / 23400 जाति रैगर राहिन हिस्सा 2174 / 23400 पी0एन0बी0 बैंक शाखा कालाडेरा, श्रवण कुमार पुत्र कानाराम हिस्सा 2174 / 23400 जाति रैगर राहिन हिस्सा 2174 / 23400 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चौमूं,

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0–34 / 2024
उनवान–रतनलाल बनाम छीतर वगै0
निर्णय दिनांकः–04.10.2024

रामू पुत्र चौथू हिस्सा 2127 / 23400 जाति रैगर, संतोष देवी पत्नी अर्जुनलाल हिस्सा 2158 / 23400 जाति रैगर सा0 देह खातेदार, रामपाल पुत्र मोती हिस्सा 5066 / 23400 जाति रैगर सा0 काला पापड़ी, ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 280 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 284 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 285 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 286 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 289 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 290 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 291 / 2 रकबा 0.42 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 2.34 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गहरे हरे रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिकी जारी हो। नजरी नक्शा डिकी व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 04.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
चौमूं

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0—34 / 2024
उनवान—रतनलाल बनाम छीतर वगै0
निर्णय दिनांकः—04.10.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :—प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

रतनलाल पुत्र रामलाल, उम्र 35 वर्ष, जाति बलाई, निवासी ग्राम दम्बा का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—वादी—

बनाम

1. छीतर पुत्र चौथू
2. नबालिग तमन्ना पुत्री भींवाराम संरक्षक खुद पिता भींवाराम
3. बल्लूराम पुत्र कानाराम
4. बाबूलाल पुत्र कानाराम
5. भींवाराम पुत्र छीतरमल
6. रामू पुत्र चौथू
7. लाखाराम पुत्र कानाराम
8. श्रवण कुमार पुत्र कानाराम
9. संतोष देवी पत्नी अर्जुनलाल
10. नाबालिग हिमांशु पुत्र भींवाराम संरक्षक खुद पिता भींवाराम
    समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम दम्बा का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. रामपाल पुत्र मोती, जाति रैगर, निवासी कालापापड़ी, ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
13. राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार महोदय गोविन्दगढ़, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
14. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
15. बैंक ऑफ बड़ौदा, जरिये शाखा प्रबंधक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0—34 / 2024
उनवान—रतनलाल बनाम छीतर वगै0
निर्णय दिनांकः—04.10.2024

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :—34 / 2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

विवादित भूमि वाके ग्राम दम्बा का बास, पटवार हल्का आलीसर, भू0अ0नि0 क्षेत्र हस्तेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के नया खाता सं0 15 के खसरा नं0 280 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 283 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 284 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 285 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 286 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 289 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 290 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 291 रकबा 0.67 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 2.59 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 04.10.2024 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता हैः—

1. रतनलाल पुत्र रामलाल हिस्सा सम्पूर्ण, जाति बलाई, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 291 / 1 रकबा 0.25 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में हल्के हरे रंग से दर्शायी गई है।
2. छीतर पुत्र चौथू हिस्सा 3195 / 23400 जाति रैगर, नाबालिग तमन्ना पुत्री भींवाराम संरक्षक खुद पिता भींवाराम हिस्सा 719 / 23400, नाबालिग हिमांशु पुत्र भींवाराम संरक्षक खुद पिता भींवाराम हिस्सा 719 / 23400, भींवाराम पुत्र छीतरमल हिस्सा 720 / 23400, बल्लूराम पुत्र कानाराम हिस्सा 2174 / 23400 जाति रैगर राहिन हिस्सा 2174 / 23400 पी0एन0बी0 बैंक शाखा कालाडेरा, बाबूलाल पुत्र कानाराम हिस्सा 2174 / 23400 जाति रैगर राहिन हिस्सा 2174 / 23400 पी0एन0बी0 बैंक शाखा कालाडेरा, लाखाराम पुत्र कानाराम हिस्सा 2174 / 23400 जाति रैगर राहिन हिस्सा 2174 / 23400 पी0एन0बी0 बैंक शाखा कालाडेरा, श्रवण कुमार पुत्र कानाराम हिस्सा 2174 / 23400 जाति रैगर राहिन हिस्सा 2174 / 23400 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा चौमूं, रामू पुत्र चौथू हिस्सा 2127 / 23400 जाति रैगर, संतोष देवी पत्नी अर्जुनलाल हिस्सा 2158 / 23400 जाति रैगर सा0 देह खातेदार, रामपाल पुत्र मोती हिस्सा 5066 / 23400 जाति रैगर सा0 काला पापड़ी, ग्राम खोराबीसल, तहसील आमेर खातेदार के हिस्से में

उपखण्ड कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मु0सं0–34 / 2024
उनवान–रतनलाल बनाम छीतर वगै0
निर्णय दिनांक:–04.10.2024

खसरा नम्बर 280 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 284 रकबा 0.37 है0, खसरा नं0 285 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 286 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 289 रकबा 0.41 है0, खसरा नं0 290 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 291/2 रकबा 0.42 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 2.34 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी, जोकि नजरी नक्शे में गहरे हरे रंग से दर्शायी गई है।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 04.10.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत........................

ओहदा........................

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	6	जोड़	0